[illegible]	[illegible]	नकल व तामील अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	मुकदमा पेश हो [illegible] किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 23-1-19 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी खरवाडा जि उदयपुर	
23-1-19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे वादी अधिवक्ता उपस्थित हुवे। पत्रावली लम्बे समय से साक्ष्य वादी मे चल रही है। वादी अधिवक्ता को साक्ष्य वादी प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम से अन्तिम अवसर देने के बावजूद साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही किये जाने से पत्रावली मे साक्ष्य वादी बंद किया जाता है। पत्रावली को साक्ष्य वादी के अभाव में पत्रावली खारीज की जाती है। पत्रावली मे इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त की जाती है क्योंकि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करना यह जाहिर करता है कि वादी वाद को चलाने का इच्छुक नही है। जबकि वाद को साबित करने का सम्पूर्ण भार वादी पर होता है। अत: ऐसी परिस्थिती मे वाद को आगे चलाना निरर्थक होकर मात्र न्यायालय का समय जाया करने के अधिक कुछ भी नही है। अत: पत्रावली निरस्त की जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो। [signature]	